



लाला कलेक्टर
टोक

अपीलार्थी को निर्धारित समयवधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रमाण की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकाधी एवं अति 19.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सूचना देते तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकाधी एवं अति 134 दिनांक 07.04.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलान्त द्वारा जारी सूचना के बिन्दु संख्या 1 ता 6 परपक्ष से संबंधित होने के कारण एवं बिन्दु संख्या 7 अस्पष्ट होने के कारण खरिज कर दी गई तथा बिन्दु संख्या 8 का संबंध लोक सूचना अधिकाधी एवं प्रभावी अधिकाधी सतकला अज्ञानता

की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
2025/1514 दिनांक 29.08.2025 की पालना में की गई कार्यावाही से संबंधित दस्तावेजों 8.क्यालय लाला कलेक्टर टोक के पत्र क्रमांक सतकला/पब्लिक/विधि/ की एक प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

7.आपके क्यालय के पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 25.08.2025 पत्र सहित संलग्न रिपोर्ट प्रमाण पत्र लिया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति ।

6. यदि इस प्रक्रिया में पचायत/वाड सटस या अन्य अधिकाधियों से कोई सत्यापन/ noting/correspondence) 5.आवेदन प्रालि एवं निर्णय/जारी करने की तिथियों का विवरण (date-wise पर इस्तेाहर करने वाले अधिकाधी का नाम व पद।

4. मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश/प्रमाण पत्र (signed copy) एवं उस प्रति ।

3. संबंधित अधिकाधी/कर्मचारी द्वारा तैयार की गई सत्यापन/जवाब रिपोर्ट की प्रमाणित काड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि) की प्रमाणित प्रतियाँ ।

2. उक्त आवेदन के साथ संलग्न सभी समर्थन/प्रमाण पत्रों (जैसे आधार काड, राशन कार्ड की दिनांक 23.01.2023 पर दिये गए मूल आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति ।

1.श्रीमती रेसमा शीमा पत्नी श्रीगणेश शीमा द्वारा आवेदन संख्या 230524211710,जारी प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना जारी गई:-
अधिकाधी एवं अति 06.01.2026 को आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2026 को

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आर्नलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकाधी एवं अति 07.05.2026 दिनांक 07.05.2026

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
राज्य लोक सूचना अधिकाधी एवं अति 07.05.2026 दिनांक 07.05.2026

बनाम
लाला टोक राज.
श्री यदि प्रसाद बैरवा निवासी रहमानिया वाड संख्या 9 पोस्ट अरनियामाल रहसील व प्रकरण संख्या 36/2026

न्यायालय प्रथम अपील अधिकाधी एवं लाला कलेक्टर, टोक

